

वाद संख्या :-

122
2023

1. महावीर, शेरसिंह, जलवत, नरेन्द्र वि. गाँधी

प्रार्थी

बनाम

(1) तहसीलदार (भूमिदारी तहसील नीमकाथाना / पण्डा

अप्रार्थी

दावा बाबत घोषणा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 88 के तहत

धीमान् जी

दावा बाबत घोषणात्मक निम्नानुसार प्रस्तुत हैं :-

वाद निम्न प्रकार से है कि राजस्थान ग्राम माफ्फी के भूमि खसरा नं० 426 संयुक्त खेतपारी के दर्ज रिकार्ड था जिसका आपस में बख्शारा कर पूर्व दिशा में 0.76 है भूमि महावीर पुताड़ जिसका खसरा नं० 426/2 तथा पश्चिम दिशा में खसरा नं० 426/1 शेरसिंह, जलवत सिंह नरेन्द्र सिंह खिसा बख्शारा दर्ज रिकार्ड हो कर नब्ज का बख्त यत्ना आ रहा था तथा उपभोग व उपभोग करते आ रहे थे लेकिन रिकार्ड में गलती वश उपर के नये खसरा नं० 58 नं० महावीर के बजाय शेर सिंह जलवत व नरेन्द्र सिंह के नाम रिकार्ड दर्ज हो गया तथा 59 नं० के दुजके बजाय महावीर के नाम गलत रिकार्ड दर्ज हो गया और, क्षीमात मीमा - नब्ज आउदार शसरा नं० 58 खसरा 0.61 है तथा खसरा नं० 59 के खसरा 0.15 है महावीर पुताड़ मोती राम के नाम दर्ज रिकार्ड किया जाय तथा खसरा नं० 59 के खसरा 0.61 है जलवत, नरेन्द्र एवं शेर सिंह के बख्शारा बख्शारा दर्ज रिकार्ड कर राजस्थान प्रदाग करे न्याय की पूर्ण आशा के साथ सादर

प्रार्थी महावीर, शेरसिंह, जलवत, नरेन्द्र वि. गाँधी

प्रार्थी
5/5/23

द्वारा प्रस्तुत वाद घोषणात्मक दर्ज रजिस्टर किया जाकर निम्नानुसार रिपोर्ट प्रेषित की गयी।



1. रिपोर्ट पटवारी / गिरदावर / तहसीलदार

श्रीमानजी रिपोर्ट माफिया मुद्रा है -

- (i) सांकेतिक क्र. नं. 406/ रकबा 0.61 की खातेदारी खाता सं 205 में रामदेव पुत्र गंगू लोचन कुटीर के नाम जमाबंदी सम्मत 2055-58 में दर्ज रिकार्ड थी व पुत्रा स्व. नं. 426 रकबा 0.76 की खातेदारी खाता सं 82 रकबा 2055-58 में महावीर पताद / भोलीराम के नाम दर्ज रिकार्ड है।
- (ii) नवीन भूपकल्प के वादनमा स्व. नं. 58 रकबा 0.61 की खातेदारी खाता सं. 2075-78 के खाता सं. 111 में रामदेव के वारीदान के नाम जलवंत, नरेन्द्र, शेरखिंद पि. रामदेव के नाम दर्ज पाई गई व नमा स्व. नं. 59 रकबा 0.76 की खातेदारी जमाबंदी सम्मत 2075-78 के खाता सं. 105 में महावीर पताद पि. भोलीराम के दर्ज रिकार्ड पाई गयी। उपरोक्त नवीन स्व. नं. 58 व 59 के सांकेतिक स्व. नं. 426, 426 होना पाया है।
- (iii) भोंडे पर कब्जा जमाने पर महावीर पताद का कब्जा स्व. नं. 58 रकबा 0.61 व स्व. नं. 59 में रकबा 0.15 कुल रकबा 0.76 पर पाया गया है व जलवंत, नरेन्द्र वॉ. का कब्जा नवीन स्व. नं. 59 में रकबा 0.61 पर पाया गया। इस प्रकार से स्पष्ट है की नवीन भूपकल्प के दौरान कब्जे के विपरीत तराज होना पाया गया है।
 अतः खातेदारी स्व. नं. 58 रकबा 0.61 व स्व. नं. 59 में रकबा 0.15 की खातेदारी महावीर पताद पि. भोलीराम पताद के नाम व स्व. नं. 59 रकबा 0.61 की खातेदारी जलवंत, नरेन्द्र, शेरखिंद पि. रामदेव व 1/3 नरेन्द्र, खिंद पि. रामदेव व 1/3 शेरखिंद पि. रामदेव व 1/3 लोचन कुटीर के नामों के पाजाना उचित है।

2. रिपोर्ट ग्राम पंचायत..... माकडी रिपोर्ट 27-07-2023
 4.11.23 डा. 23
 उपरमोदी

श्रीमानजी स्व. नं. 58 में महावीर पताद पुत्र भोलीराम सांकेतिक खाते होकर खेती कर रही है तथा स्व. नं. 59 पर 0.15 रकबा पर भी धाकिय है, इस प्रकार कुल रकबा 0.76 है पर धाकिय खाते है और स्व. नं. 59 रकबा 0.61 है पर जलवंत, नरेन्द्र, शेरखिंद पि. रामदेव धाकिय खाते है।
 मैं इसको धाकियगत रूप से जानता हूँ।
 एक भव भरे लामने भी रजाभंदी है आपसे मिलकर रिकार्ड दुरुस्त करवाना चाहते है।
 अतः उपरोक्तानुसार रिकार्ड दुरुस्त कराने की कृपा करें।

तहसीलदार (बु. व. नीमकाथना (सीकर)

विनोद जंक
 सरपंच
 ग्राम पंचायत माकडी
 प. स. नीमकाथना (सीकर)